संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन), 1975 अधिनियम, 1975

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1975)

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1975]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 1975 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1975 के रूप में दिनांक 18 अगस्त, 1975 को उ0 प्र0 गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, 1945 का निरसन करने तथा पारिमाणिक. उपबन्ध बनाने के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1945 का निरसन तथा पारिमाषिक उपबन्ध

2–(1) संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, 1945, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से––

(क) उत्तर प्रदेश की बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 के अधीन संघटित श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति (जिसे आगे उक्त समिति कहा गया है) की उक्त अधिनियम के अधीन समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य नोटीफाइड एरिया कमेटी बद्रीनाथपुरी (जिसे आगे नोटीफाइड एरिया कमेटी कहा गया है) में अन्तरित हो जायेंगे और उनका प्रयोग निर्वहन तथा पालन उसके द्वारा किया जायगा ;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अथवा उसके अनुसरण में, उक्त समिति द्वारा अर्जित, प्रोदभूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता अथवा दायित्व नोटीफाइड एरिया कमेटी को अन्तरित हो जायगा और अन्तरित हुआ समझा जायगा।

———